भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-119

उत्तर देने की तारीख-11/12/2023

बी.एड की रिक्त सीटें

†*119. **श्री सय्यद ईमत्याज जलीलः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य में बी.एड की कुल 34830 सीटों में से 6008 सीटें रिक्त रह गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बी.एड की काफी संख्या में सीटों के रिक्त होने के मूल कारण का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सुधार करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार को बी.एड करने के सम्बन्ध में युवाओं में रुचि की कमी के संबंध में चिंता की जानकारी है, यदि हां, तो सरकार शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती बढ़ाने के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

बी.एड की रिक्त सीटें के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 2023 को पूछा गया लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में, महाराष्ट्र के 477 बीएड कॉलेजों की कुल 34,830 बीएड सीटों में से 4,785 सीटें खाली हैं।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र सरकार ने यह भी बताया है कि उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों, अभिभावकों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता के लिए बीएड सत्र 2023 के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले पूरे महाराष्ट्र राज्य में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण की अवधि को 44 दिनों के लिए बढ़ाने, अप्रवेशित उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के लिए काउंसलिंग के अंतिम दौर को चार दिनों के लिए बढ़ाया गया था।

भारत सरकार देश में शिक्षक शिक्षा की सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रभाशीलता और गुणवत्ता के संबंध में चिंतित है। एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को अधिसूचित किया है और एनएएसी ए और उससे ऊपर की मान्यता के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में वर्ष 2023-24 से प्रयोगिक आधार पर चालू किया जा रहा है। आईटीईपी प्रयोगिक में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है।

(घ) : शिक्षकों की भर्ती बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों और एडवायज़री के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उनकी युक्तिसंगत तैनाती के लिए अनुरोध करता रहता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

*****